राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1525 SEIAA/2022
Date: 5/9/22

प्रति,

श्री मनोज परमार,
आत्मज श्री हरिकिशन परमार,
निवासी – गोपाल मंदिर, आगर
तहसील व जिला आगर मालवा (म.प्र)

विषयः प्रकरण क्र. 9237/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री मनोज परमार आत्मज श्री हरिकिशन परमार निवासी – गोपाल मंदिर, आगर तहसील व जिला आगर मालवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 140, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम बड़गौन, तहसील तहसील व जिला आगर मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री अशोक कुमार जैन आत्मज श्री हुकुमचन्द्र जैन निवासी ग्राम हाटपुरा आगर, तहसील व जिला आगर मालवा (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 744वीं बैठक दिनांक 30.08.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया ....

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत विचार चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यवरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन (जून 2022 तक) एवं वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर मय फोटोग्राफ अक्षांश देशांश सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णयानुसार पूर्व पर्यवरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन (जून 2022 तक) एवं वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर मय फोटोग्राफ, अक्षांश देशांश सहित जानकारी SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण में विचार किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1526 /SEIAA/2022 दिनांक – 5/9/22
प्रतिलिपिः–

श्री अशोक कुमार जैन आत्मज श्री हुकुमचन्द्र जैन निवासी ग्राम हाटपुरा आगर, तहसील व जिला आगर मालवा।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी